(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehra Dun.

No

Dated 07.03.2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that <u>0.0780</u> hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Submaerjans Motor Road to Chichrad Motor Road(1.00 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Chichrad village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>0.0780</u> hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;\
- (c) The proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

District Magistrate
Dehra Dun.

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate

No

Dated 07/03/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.078 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Submaerjans Motor Road to ChichradMotor Road(1.00 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Chichrad village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>0.078</u> hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Chichrad villages(s) is enclosed as annexure 303To annexure 30.5
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

District Magistrate

Dehra Dun.

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा-6 (5) तथा पर्यावरण एंव वनम=ालय भारत सरकार के पत्रांक सं0 11-09/98-FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 07/03/2015 में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के right व settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ-

जनपद— देहरादून .के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण निर्माण हेतु 0.078 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 26 वृक्षों के पातन की अनुमित हेतु अ0ख0,लो0नि0वि0 सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा -6(1) के अनुसार चिचराड, ग्राम सभा के ग्राम स्तरीय सिमित द्वारा उनकी बैठक दिनॉक 15-12-2614 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा -6(3) के प्राविधानानुसार उपिजलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपिजलास्तरीय सिमित द्वारा उनके बैठक दिनॉक 27-2-15 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय सिमित को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त सिमितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव / आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रनेज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भुमि में चिन्हत भु—भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अत वनअधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाम्त की गयी ।

जिला समाज कल्याप्न अधिकारी

देहरादून सदस्य सचिव प्रमागीय वनाधिकारी चकराता चन प्रभाग चकराता

विकसिस्यद्वास्य देवारा

ज्ञ जिलाधिकारी

देहरादून

अध्यक्ष District Magistrate Dehra Dun.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ravi Nath Raman I.A.S District Magistrate, Dehradun on dated (A) 724.5... at time 1.2... 1.9...... at Dehradun In which application claiming rights in measuring 0.078 Area hect for the construction of SUBMAERJANS MOTOR ROAD TO CHICHRADMOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehradem

Dated: .. 07.[93] 2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

District Magistrate ? • Dehra Dun. -

Ravi Nath Ramon)

प्रपत्र-39.2

परियोजना का नाम :— जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.078 है0 वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कालसी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील – कालसी) उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत – जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण के

निर्माण हेतु भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.078 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.622 हे0 नापभूमि)वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.700 हे0 वन भूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सिहया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सिमित, (तहसील –कालसी) की दिनांक 27-2-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अशोक पाण्डेय, उप जिलाधिकारी कालसी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में

आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री अशोक पाण्डेय ,	उपजिलाधिकारी कालसी देहरादून	(अध्यक्ष)
		ज्ञाबनी त्रकारी
2- श्री भारत भूषण	उपप्रभागीय वनाधिकारी ,चकराता वन प्रभाग चकराता	(सदस्य)
मार्तीलिया ,		The state of the s
3- श्री मिठन लाल ,	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	(सदस्य / सिचव)
		The state of the s
4- श्री राजेश नौटियाल	बी०डी०सी० क्षेत्र लाच्छा	(सदस्य) कि क्वायत सदस्य लाका
		(# (E.) #
		काम हाण्ड कालमे हिंहरादन

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.078 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.622



हे0 नापभूमि)वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.700 हे0 वन भूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सिहया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्योंके समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्तभूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से

पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजेंस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.078 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.622 हे0 नापभूमि)वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.700 हे0 वन भूमि को अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सिहया के पक्ष में हस्तान्तरित कर जनहित में सक्षम प्राधिकारी

से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील :- कालसी जनपद:- देहरादून

प्रतिलिपि -: जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपं जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहस्रील - कालसी जनपदः देहरादून

प्रपत्र— उ०-उ

परियोजना का नाम :— जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.100 है0 वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- गडोल तहसील-कालसी, जिला-देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण निर्माण हेतु 0.100 है0 वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.078 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 0.622 है0) अर्थात कुल 0.700 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गडोग द्वारा दिनांक 15-12-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में अ०ख०, लो०नि०वि०, सिहया द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्यारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ०ख०, लो०नि०वि०, सिहया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / -ग्राम सचिव न पंचायत विकास आधकारी विकासखण्ड – कालसी जनपद – देहरादून AND S

ह0/ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत गढ़िक हस्ताक्षर अधिक देनाक

दिनांक —: <u>15.) 2. 2019</u> को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्रामपंचायत — गडोक

क्माक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर	
1-	औ रवजान सहं धु माहरसिटं चिन्यशं	रविधानिसिंह दीर्यान स्निह्	
2-	अ दीवान सिंह ३/, भोहन सिंह ११ अ विकास ३/० के दार सिंह ११	(1016) 1-1E	अभाजित
3-	आ लिलिशसह ३/० सिमराम	W	
	21 21 21 21 21 21 21 21	John	
6-	अभिनि सर्ना देवी ७/० डुमिस १।	200	
5- 6- 7. 8-	अभिति आमो देवी ७/० दिवान सिंह ।	द्याची देवी	
	101 00000	भावित रवी	
110-	जीमार्थ के स्वादिकी ७/० जान-दिसंह 11	Round	
12-	आ पवभासह अ७ बादर सिंह ।। -	al www	
13 -	अ सुरविसंह \$10 बुद्धराम् ।।	Shot Church	
15-	अर् आनन्दसिंह ९/० सुरेन्द्रसिंह।।	Bling	
16-	औ सुरविसंह \$/0 खुद्धरात्र १। औ आन-इसिंह ९/0 खुद्धरात्र १। औ अन-इसिंह १/0 खुद्धरात्र १। औ स्विसिंह १/0 खुद्धरात्र १। औ स्विसिंह १/0 खुद्धरात्र १।	(A) with	
17	- अगिति कमलादेकी ७० इकिसिंह ।। - अगिति कमलादेकी ७० इकिसिंह ।। करा - अगिति पानो देकी ७० प्रमसिंह ।।	inc) san A Min	
19.	- अमिति पानी देवरि ७/ प्रमसिंह ।।	ह्यानी हैं।	

ग्राम प्रधान गडीस

विग्छा०-कालसी, देहराव

(congo) w